गंगा मंथन

गंगा संरक्षण हेतु राष्ट्रीय विमर्श

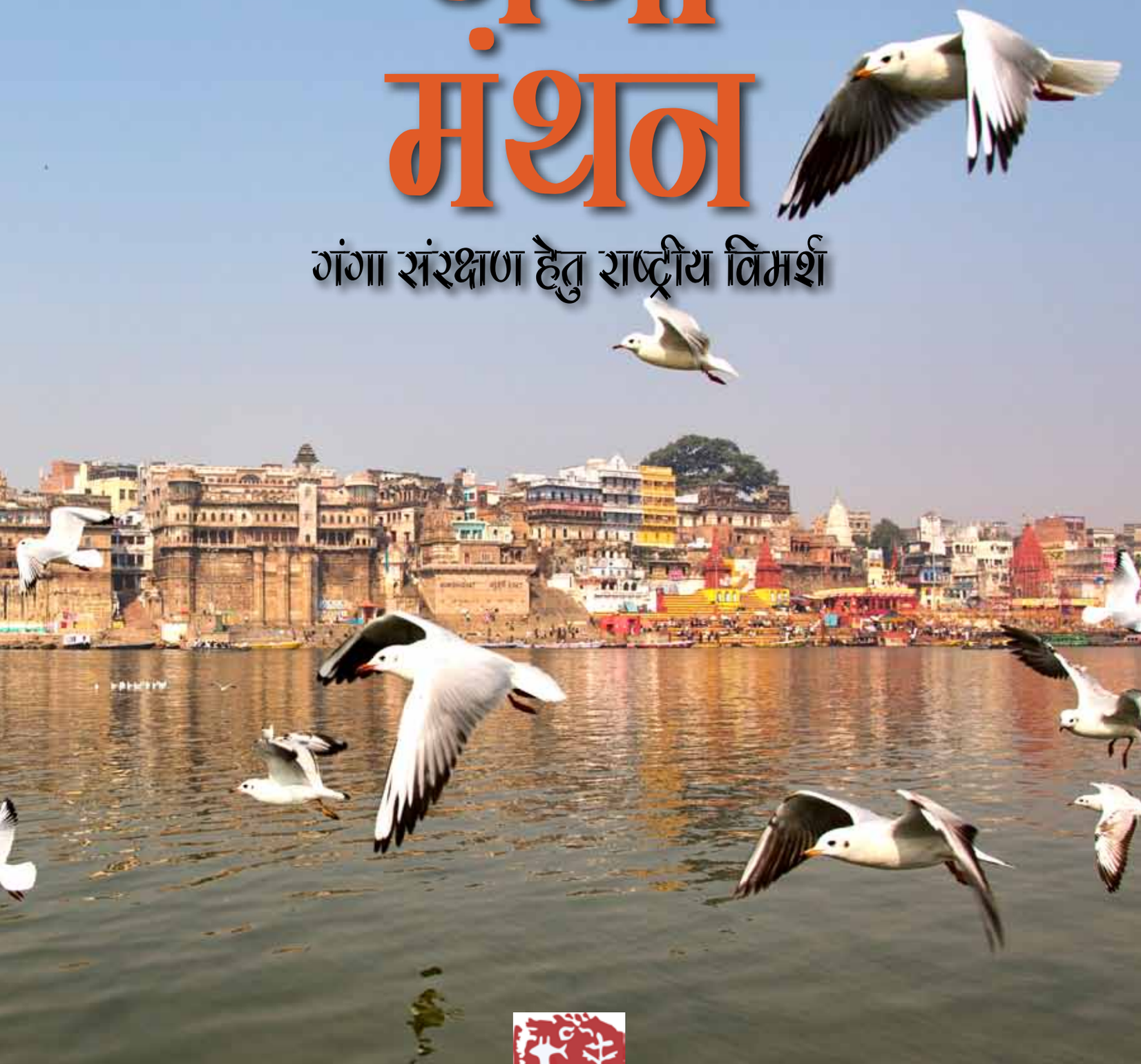

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

गंगा मंथन

गंगा संरक्षण हेतु राष्ट्रीय विमर्श

गंगा सेवा भारत सेवा

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के साथ सहस्राब्दियों से भारतीय सभ्यता के भौतिक एवं आध्यात्मिक संपोषण का स्रोत रही है। साथ ही, युगों - युगों से भारतवासियों के लिए जीवनदायिनी गंगा दैवीय वरदान है। भारतीय जनमानस में गंगा न केवल नदियों में पवित्रतम तथा मानव जाति के लिए शुद्धिकरण का माध्यम है, अपितु माँ गंगा जीती - जागती देवी स्वरुपिणी हैं।

गंगा नदी करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा है। यह ऐसे बेसिन से प्रवाहित होती है जिसमें ऊंचाई, जलवायु, भूमि उपयोग और कृषि पद्धतियों में असाधारण भिन्नताएं पाई जाती हैं। मानव सभ्यता अति प्राचीन काल से गंगा की गोद में पली-बढ़ी है। गंगा विश्व की सर्वाधिक पवित्र नदियों में से एक है और इस देश के लोगों में इसके प्रति गहन श्रद्धा है।

भारत सरकार ने इसके सामाजिक आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है। अत्यधिक पूज्य तथा भारत की मुख्य भूमि के लिए प्राथमिक जल स्रोत होने के बावजूद गंगा नदी काफी प्रदूषित है और अत्यधिक पर्यावरणीय दबाव झेल रही है। इसके पुनरूद्धार और प्रबंधन के लिए सभी सहभागियों की प्रतिबद्धता और समावेशन आवश्यक है। गंगा मंथन इस दिशा में प्रथम प्रयास है, जिसके फलस्वरूप इस नदी के संरक्षण हेतु सामूहिक सकारात्मक कार्रवाई अथवा जन आंदोलन प्रादुर्भूत हो सकता है।

जलग्रहण क्षेत्र की दृष्टि से गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है जिसमें देश का 26% भू-भाग (8,61,404 वर्ग किलोमीटर) समाहित है और लगभग 43% आबादी (2001 की जनगणना के अनुसार 448.3 मिलियन) का पोषण होता है। गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर गंगा नदी 2525 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा के प्रवाह के दौरान देश के 11 राज्यों में बहने वाली अनेक सहायक नदियां जैसे अलकनंदा, रामगंगा, काली, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा सोन और अनेक उप-सहायक नदियां अलग-अलग स्थानों पर इससे मिलती जाती हैं। यह सामर्थ्यवती नदी पृथ्वी के दुर्लभतम तथा विचित्रतम प्राणियों की निवास स्थली है।

विषय-सूची

परिचय

कार्यक्रम 7

आयोजक 9

प्रतिभागी 9

उद्घाटन सत्र

श्री राजीव रंजन मिश्रा द्वारा स्वागत भाषण 11

श्री श्रीपद नाईक द्वारा संबोधन 13

सुश्री उमा भारती द्वारा संबोधन 13

श्री नितिन गडकरी द्वारा संबोधन 15

आध्यात्मिक गुरूओं द्वारा उद्बोधन 15

पैनल चर्चा

समूह कः गंगा और संस्कृति 17

समूह खः निर्मल एवं अविरल गंगा 19

समूह गः व्यापक एवं संधारणीय समाधान 21

समूह घः जन सहभागिता (गंगा के लिए जन सहभागिता और आंदोलन) 23

समापन सत्र

सामूहिक चर्चा के निष्कर्ष 25

सुश्री उमा भारती द्वारा समापन भाषण 31

श्री नितिन गडकरी द्वारा समापन भाषण 33

श्री पुष्कल उपाध्याय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन 33

कार्यक्रम

गंगा मंथन का कार्यक्रम 07 जुलाई, 2014 को विज्ञान भवन में किया गया। गंगा संरक्षण के ध्येय से जुड़े विभिन्न सहभागियों – नीति निर्माताओं एवं क्रियान्वयको, शिक्षाविदों, पर्यावरणविदों, संतों तथा सभी पंथों के आध्यात्मिक गुरूओं और गैर सरकारी संगठनों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए यह राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम था।

'मंथन' का आशय गहन चिंतन एवं तथ्यों तथा विचारों के समावेशन से है, जिसके फलस्वरूप ज्ञानोदय होता है। इसी भावना के साथ और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ''गंगा मंथन'' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

विभिन्न सहभागियों के बीच पारस्परिक विचार विनिमय को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्र स्तरीय विमर्श 'गंगा मंथन' का आयोजन एक दिवसीय कार्यक्रम के रूप में 7 जुलाई, 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया।

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य गंगा के पुनरूद्धार के चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए मुद्दें तथा संभाव्य समाधानों पर विचार-विमर्श करने हेतु विभिन्न सहभागियों को एक साझा मंच पर लाना था। ''गंगा मंथन'' में प्रतिभागिता करने वाले सहभागियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से इस नदी के संरक्षण हेतु एक व्यापक कार्यनीति तैयार करने में सहायता प्राप्त होगी।

कार्यक्रम का शुभारंभ विख्यात व्यक्तियों तथा उच्चाधिकारियों सहित सभी सहभागियों के लिए एक संयुक्त प्रारंभिक सत्र के साथ हुआ। इसके पश्चात शिक्षाविदों एवं तकनीकी विशेषज्ञों, आध्यात्मिक गुरूओं एवं संतों, गैर सरकारी संगठनों तथा पर्यावरणविदों और नीति निर्माताओं तथा कार्यान्वयनकर्ताओं के लिए चार अलग-अलग समवर्ती सत्र आयोजित किए गए। एक संयुक्त समापन सत्र में समवर्ती सत्रों में उद्भूत विचारों एवं धारणाओं को साझा किया गया ।

आयोजक

इस कार्यक्रम का आयोजन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय*, भारत सरकार की प्रेरणा से राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की परियोजना कार्यान्वयन शाखा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के दोहरे उद्देश्यों: (i) प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और (ii) गंगा नदी का संरक्षण, की प्राप्ति हेतु की गई थी। यह, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्र स्तरीय समन्वयन निकाय है और इसकी सहायता गंगा नदी के मुख्य भागों पर पांच राज्यों नामतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के एकल राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन समूहों द्वारा की जा रही है।

प्रतिभागी

इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरूओं, पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों एवं तकनीकविदों, जल संरक्षकों, गैर सरकारी संगठनों, जन प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं और प्रशासकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिससे राष्ट्र व्यापी जन प्रतिभागिता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

प्रतिभागियों की श्रेणियां

समूह कः संत तथा आध्यात्मिक गुरू

समूह खः गैर सरकारी संगठन तथा पर्यावरणविद्

समूह गः तकनीकविद् तथा शिक्षाविद्

समूह घः जन प्रतिनिधि, प्रशासक तथा गैर सरकारी संगठन

* राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को 1 अगस्त 2014 से जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है।

उद्घाटन सत्र

श्री राजीव रंजन मिश्रा द्वारा स्वागत भाषण

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

श्री राजीव रंजन मिश्रा ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से माननीय मंत्रीगण तथा सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होने कहा कि यह गंगा नदी के संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय विमर्श का शुभारंभ है। सर्वसंबंधित की अभिलाषा और विचार समान होने की स्थिति में लक्ष्य सुगमता से प्राप्त किया जा सकता है। आशा की जाती है कि विभिन्न सहभागियों के विचारों तथा सुझावों के आदान-प्रदान से गंगा नदी के संरक्षण हेतु एक विस्तृत एवं दीर्घकालिक कार्य नीति बनाने के लिए बहुमूल्य युक्तियां निकलकर आएंगी। इस प्रयत्न के परिणामस्वरूप गंगा के पुनरुद्धार का राष्ट्रीय कार्य जन आंदोलन की दिशा में भी अग्रसर होगा। इस तथ्य के बावजूद कि यह कार्यक्रम बहुत शीघ्रता में आयोजित हुआ है, सभी प्रतिभागियों का उत्साह एवं इस कार्यक्रम में भागीदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से दृढ़ विश्वास है कि गंगा को अविरल एवं निर्मल बनाने का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाएगा।

श्री श्रीपद नाईक द्वारा संबोधन

माननीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री

आज का दिन गंगा नदी के संरक्षण के अभिनव शुभारंभ के रूप में याद किया जाएगा और गंगा नदी की निष्ठापूर्वक सेवा में सन्नद्ध विभिन्न लोगों को एकजुट करने की दिशा में भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। गंगा नदी की महत्ता से पूरा देश सुपरिचित है, फलतः गंगा पुनरूद्धार कार्य से प्रत्येक की अंतरात्मा परितुष्ट होगी। पर्यटन मंत्रालय गंगा पुनरूद्धार कार्य को पूरी तरह से समर्थन प्रदान करेगा। गोमुख से गंगा सागर तक सभी पर्यटन केन्द्रों पर पर्यटक सूचना फलक लगाकर जन जागरूकता उत्पन्न की जाएगी। 'गंगा आचार संहिता' बनाकर इसे इन केन्द्रों पर क्रियान्वित किए जाने पर भी विचार किया जाएगा। गंगा नदी की सफाई के लिए स्थानीय विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी पर विचार किया जाएगा। नदी के मुहानों/घाटों को स्वच्छ रखना अनिवार्य है। 'निर्मल भक्ति पुरस्कार' जैसे प्रोत्साहनों के माध्यम से पूजा स्थलों और घाटों की स्वच्छता के साथ-साथ नदी में होने वाले प्रदूषण के बोझ को भी कम किया जा सकेगा। कश्मीर के झीलों की तरह 'शिकारा' (पर्यटक नाव) सुविधा को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाने के भी प्रयत्न किए जाएंगे। हमें अपना यह कार्य गंगा के संपूर्ण पुनरूद्धार तक जारी रखना होगा।

सुश्री उमा भारती द्वारा संबोधन

माननीया जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री

गंगा नदी के संरक्षण हेतु एक पृथक मंत्रालय का गठन, गंगा के प्रति अटूट श्रद्धावान लोगों के लिए एक दूरस्थ स्वप्न रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की गंगा नदी के प्रति एकनिष्ठ संकल्प एवं दूरदर्शितापूर्ण प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप अब फलीभूत हुआ है। इस कार्यक्रम को शीघ्र आयोजित किए जाने का उद्देश्य यह है कि इससे उद्भूत परिणामों से गंगा नदी के संरक्षण हेतु विभिन्न मंत्रालयों जैसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण; नौवहन; पर्यटन; शहरी विकास; पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के सचिवों के समूह द्वारा एक स्पष्ट रोड मैप तैयार करने में मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। पूरे विश्व में गंगा नदी के संरक्षण और पुनरूद्धार के प्रति अपार उत्साह है। पूरी दुनिया की दृष्टि हमारी ओर है कि हम किस प्रकार गंगा को अविरल और निर्मल बनाया जाना सुनिश्चित कर रहे हैं। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के प्रति वर्तमान सरकार पूर्णरूपेण प्रतिबद्ध है। आवश्यक परियोजना प्रोफाईल तैयार कर रहे सचिवों के समूह की सहायता से मंत्री समूह गंगा नदी को पूर्वावस्था में लाने के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है। मां गंगा के संरक्षण हेतु रोड मैप बनाने में यहां उपस्थित विभिन्न सहभागियों के विचारों से सरकार को निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। भारतीय वांड्मय के अनुसार राजा भगीरथ गंगा को धरती पर लाए थे और अब हमारा कर्त्तव्य है कि हम गंगा को गोमुख से गंगासागर तक अविरल एवं निर्मल रखें।

"गंगा ने सरकार को सारी शक्ति प्रदान कर दी है कि उसकी धारा को अविरल और निर्मल बना सके। अगर इसके बाद भी हम यह कार्य नहीं कर पाए तो सारी भूल हमारी होगी, सारा दोष हमारा होगा जिसको हम कभी ठीक नहीं कर पाएंगे और गंगा हमें कभी क्षमा नहीं करेगी।"

"जहाँ चाह है, वहाँ राह है। जहाँ चाह नहीं है वहाँ केवल सर्वेक्षण, भ्रमण, संगोष्ठी, समिति और उप-समिति है।"

श्री नितिन गडकरी द्वारा संबोधन

माननीय नौवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, ग्रामीण विकास, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री

गंगा नदी को पूर्वावस्था में लाने के लिए सरकार की दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति और अधिकारियों की सकारात्मक सोच निश्चित रूप से सार्थक साबित होगी। प्रत्येक व्यक्ति के सुझाव बहुमूल्य हैं और इसीलिए सरकार गंगा नदी के लिए एक वेबसाइट शुरू करने जा रही है, जो किसी को भी अपना सुझाव देने के लिए एक खुला पोर्टल होगा। सरकार गंगा के प्रति सरोकार रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सहयोग, विचार विनिमय एवं समन्वय की आकांक्षी है। हमारा राष्ट्र तेजी से विकास कर रहा है, इसलिए वहनीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए नैतिकता और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। गंगा नदी में जल प्रदूषण चरम पर है और सरकार शहरी विकास मंत्रालय के साथ कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी आदि जैसे प्रमुख शहरों से पैदा होने वाले प्रदूषण की समस्या पर काम कर रही है। नदी में अशोधित मलजल और औद्योगिक बहिःस्राव छोड़े जाने को रोकना ही होगा। अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण एवं पुनरूपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकारी और निजी भागीदारी संबंधी विकास के मॉडल को बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। गंगा नदी में नौवहन को फिर से शुरू करने का भी प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भी मंत्री समूह को इस वृहत कार्य में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगा। सरकार गंगा संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयत्न को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपेक्षित वित्तीय तंत्र विकसित करने के लिए कृत संकल्प है।

आध्यात्मिक गुरूओं द्वारा उद्‌बोधन

''हे देवी गंगा! आप स्वर्ग से उतरी देव नदी हैं, आप तीनों लोकों की मुक्तिदायिनी हैं, आप पवित्र एवं प्रवाहमयी हैं तथा आप भगवान शिव के शीश की शोभा हैं। हे माते! मेरा चित्त आपके चरण कमलों में रमा रहे''

गंगा नदी के पुनरूद्धार में आने वाली चुनौतियों और उनके समाधान पर मार्गदर्शन के साथ-साथ अपने विचारों को साझा करने के निमित्त विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के आध्यात्मिक गुरू एक मंच पर आए। आध्यात्मिक गुरूओं ने अपनी धार्मिक आस्थाओं को पृथक रखकर राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। गंगा के आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। आध्यात्मिक गुरूओं के उद्‌बोधन में निम्नलिखित बिंदु प्रमुख रहेः

1. **गंगा भारत की संस्कृति एवं परंपरा की प्रतीक है। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि गंगा के प्रति आस्था किसी एक धार्मिक समुदाय तक सीमित नहीं है। गंगा एक राष्ट्रीय धरोहर है और हमारी इस राष्ट्रीय नदी को संरक्षित रखने के लिए सभी धर्मावलम्बियों को बढ़-चढ़ कर भागीदारी करने की आवश्यकता है।**
2. **गंगा को इसकी पूर्वावस्था में लाने का दायित्व केवल सरकार का नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। आध्यात्मिक गुरूओं को चाहिए कि वे गंगा को इसकी पूर्वावस्था में लाने के संबंध में सरकार को समय-समय पर सुझाव देते रहें।**
3. **गंगा नदी के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने में आध्यात्मिक गुरू विभिन्न संगोष्ठियों, सत्संगों, सम्मेलनों, यात्राओं और जन जागरण के माध्यम से जन मानस की सोच में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण सहयोग कर सकते हैं। गंगा के 'निर्मल' प्रवाह के लिए नदी में किसी भी प्रकार का अपशिष्ट नहीं फेंकने के प्रति जन चेतना जागृत करना अनिवार्य है।**
4. **गंगा को 'अविरल' एवं 'निर्मल' रूप से प्रवाहित होने की पूर्वावस्था में लाने के लिए जाति, पंथ, धर्म और व्यवसाय में भेद किए बिना सभी व्यक्तियों का योगदान और प्रयास आवश्यक हैं।**
5. **'अविरल' एवं 'निर्मल' प्रवाह के लिए एक समुचित योजना और एक सख्त कानून वास्तव में गंगा नदी के संरक्षण की दिशा में एक सही कदम होगा।**
6. **अग्रणी अधिवक्ताओं, गंगा महासभा के सदस्यों, एम.सी.मेहता, परितोष त्यागी और स्वामी ज्ञानस्वरूप सानंद द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय गंगा नदी संरक्षण एवं प्रबंधन अधिनियम के प्रारूप पर मंत्रालय द्वारा गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।**

दाएँ से बाएँः ज्योतिश्पीठाधिश्वर, ज्ञानी संतोक सिंह, फादर एम.डी. थोमस, जगतगुरु रामानंदाचार्य और आचार्य लोकेश मुनि

पैनल चर्चा

समूह क: गंगा और संस्कृति

''सांस्कृतिक धरोहरों, परंपराओं, आध्यात्मिकता, भौतिक जीवन और आजीविका के साथ पुरातन गंगा का संबंध''

''गंगा को बचाने के लिए परशुराम की आवश्यकता है क्योंकि जब सहस्रअर्जुन ने धारा को रोकने का प्रयास किया था तब उनकी बाहों को उच्छेदन परशुराम ने किया था।'' – *स्वामी चिन्मायानंद जी महाराज*

''गंगा के सम्मान की रक्षा हेतु, गंगा का प्रवाह गंगोत्री से गंगा सागर तक 'अविरल' होना चाहिए।'' – *स्वामी अविमुकतेश्वरानंद जी महाराज*

समूह क की चर्चाओं से निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु उभरकर आएः

1. **गंगा नदी पर किसी अतिरिक्त अवरोधक का निर्माण न किया जाए और विद्यमान बांधों तथा अवरोधकों को इस प्रकार विनियमित किया जाए कि नदी में पर्यावरणीय प्रवाह अनुरक्षित रहे। नदी का निरंतर अथवा 'अविरल' रहना अप्रदूषित अथवा 'निर्मल' रहने की पूर्वापेक्षा है।**
2. **नदी के पारिस्थितिकीय तत्व के संरक्षण हेतु गंगा नदी में वास करने वाली मछलियों और जलीय जंतुओं के शिकार पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। नदी और मछली एक दूसरे पर आश्रित हैं। यदि मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, तो नदी का पुनरूद्धार भी तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि जलीय जीवों का संरक्षण न किया जाए।**
3. **नदी में शवों को फेंकने के विरूद्ध जागरूकता का सृजन केवल आध्यात्मिक गुरूओं द्वारा ही किया जा सकता है। संतों और आध्यात्मिक गुरूओं ने निर्णय लिया है कि वे 'जल समाधि' की सामान्य प्रथा अर्थात् संतों के शवों को दाह किए बिना सीधे नदी में प्रवाहित किए जाने पर रोक लगाएंगे और साथ ही, अपने अनुयाइयों को शवों के दाह संस्कार हेतु विद्युत शवदाह गृहों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 50-60 किलो के शव के साथ उसके कपड़े, इस्तेमाल की हुई चीजे यहां तक इंजेक्शन, दवाइयां वगैरह सब कुछ उसके साथ ही लाया जाता है और शव को जला देते है बाकि चीजों को नदी के हवाले कर देते है। शास्त्र इन गतिविधियों की आज्ञा नहीं देते ।**
4. **नदी तट पर की जाने वाली कृषि पर पूर्ण रोक लगाई जानी चाहिए। इन खेतों से होने वाले बहाव के साथ नदी में हानिकारक रसायनों की भारी मात्रा आ जाती है क्योंकि खेतों में प्रयुक्त उर्वरकों एवं कृमिनाशकों का केवल 5% भाग ही फसलों द्वारा अवशोषित होता है और शेष भाग नदी में प्रवाहित हो जाता है। जैविक कृषि को गंगा बेसिन में अनिवार्य किया जाना चाहिए।**
5. **खस घास के इस्तेमाल से भूमि कटाव और लैंड स्लाइड को पूरी तरह रोका जा सकता है, चीन ने इसे बड़े पैमाने पर अपने यहां उगाया है, भारत में बड़ी मात्रा में खस होने के बावजूद इसका उपयोग सिर्फ टाटपट्टी और कूलर की जाली बनाने में होता है। खस की जड़े एक ही साल में 15 फीट गहराई तक पहुच जाती है। गंगा पथ पर इसे लगाने से गाद जैसी विकराल समस्या से भी बहुत हद तक छुटकारा पाया जा सकता है, जो जलपरिवहन के विकास में सबसे बड़ी बाधा है।**

प्रतिभागी

संत तथा आध्यात्मिक गुरू

अध्यक्ष

स्वामी विश्वेश तीर्थ जी महाराज

पैनल

- स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज, ज्योतिषपीठ
- आचार्य बालकृष्ण जी, पतंजलि योगपीठ

प्रमुख वक्ता

- स्वामी नरेंद्र गिरि जी महाराज
- स्वामी चिन्मायानंद जी महाराज
- राज राघवेंद्रानंद जी
- संत बलबीर सिंह सिंच्वाल
- स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज
- साध्वी समर्पिता
- जगतगुरू शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के प्रतिनिधि
- स्वामी अविमुकतेश्वरानंद जी महाराज
- स्वामी नारायण गिरि जी महाराज
- स्वामी वियोगानंद जी महाराज
- डॉ आदित्य हिंसर
- गायत्री शक्ति पीठ के प्रतिनिधि

समूह ख: निर्मल एवं अविरल गंगा

''नदी के प्राकृतिक निर्बाध प्रवाह का सुनिश्चय''

''अगर अमेरिका हजार बांध हटा सकता है तो ये देश एक बांध नहीं हटा सकता।'' – श्री मनोज मिश्रा

''बचपन में गंगा मेरा मैला धोती थी, पर अब गंगा मैला धोती नहीं ढोती है। अब हमनें उसे मैल ढ़ोने वाली मालगाड़ी बना दिया है।''
– श्री राजेन्द्र सिंह 'जलपुरुष'

समूह ख की चर्चाओं से निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु उभरकर आए:

1. **बांस, बोरांस, कापर जैसे कई वृक्ष है जिनके रोपण से गंगा का किनारा सुरक्षित रह सकता है।**
2. **गंगा नदी की लंबाई 2500 किलोमीटर नहीं, बल्कि 25000 किलोमीटर है क्योंकि सभी सहायक नदियां मिलकर गंगा नदी को पहचान देती हैं और इसलिए इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। गंगा नदी को पुनः परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह केवल मात्र जल न होकर कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। गंगा के गुण इसे अद्वितीय बनाते हैं, जिन्हें समझा जाना बहुत ही जरूरी है।**
3. **यह दुःखद है कि गंगा और नेपाल से आने वाली इसकी सहायक नदियों में गांगेय डॉल्फिनों की संख्या मात्र 1800 है। प्राकृतिक तरीके से नदी की सफाई में गांगेय डॉल्फिनों की प्रमुख भूमिका है, अतः इनका संरक्षण करना महत्वपूर्ण है।**
4. **घटते हुए ग्लेशियर के कारण जलवायु परिवर्तन और अविरल धारा पर प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है।**
5. **गंगा नदी में मछली की 384 प्रजातियां मौजूद हैं जिनका संरक्षण नदी का पुनरूद्धार करने हेतु किया जाना चाहिय।**
6. **रन-ऑफ-रिवर परियोजनाएं सबसे बड़ा खतरा हैं, क्योंकि इनसे नदी के प्रवाह की निरंतरता बाधित होती है। नदी को एक सुरंग में अपवर्तित किया जाता है, जिसमें हवा, सूरज की रोशनी और तलछट नहीं होते हैं। सुरंग से गुजरने के कारण गंगा नदी का विशिष्ट गुण भी नष्ट होता है।**
7. **इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि नदी के उच्च बाढ़ स्तर से 500 मीटर आगे तक निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए और सूचीबद्ध तथा असूचीबद्ध 402 चर्म शोधन शालाओं को बाढ़ वाले मैदान से दूर अन्यत्र स्थापित किया जाए। इन आदेशों का जमीनी तौर पर सख्ती से क्रियान्वयन किया जाना चाहिय।**
8. **नगरीय मलजल का शून्य प्रवाह, गंगा नदी को 'निर्मल' बनाने के लिए प्रमुख शर्त है। सरकार द्वारा शोधित अपशिष्ट जल के 100% पुनःप्रयोग तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाना चाहिय।**
9. **गंगा के नदी तट जो अनिवार्य रूप से कछुओं के प्रजनन स्थल थे वहाँ कृषि कार्य के लिए अतिक्रमण हो चुका है जिसके फलस्वरूप कृमिनाशकों और उर्वरकों का सीधा प्रवाह नदी में होता है और इससे कछुओं के प्रजनन स्थलों पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है।**

प्रतिभागी

गैर सरकारी संगठन तथा पर्यावरणविद

अध्यक्ष

श्री गिरिधर मालवीय, पूर्व जस्टिस

पैनल

- श्री भूरे लाल, पर्यावरण प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) प्राधिकरण
- डॉ अरुण कुमार, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, आईआईटी रुड़की
- डॉ बृज गोपाल, राष्ट्रीय पारिस्थितिकी संस्थान
- श्री मनोज मिश्रा, यमुना जिए अभियान

प्रमुख वक्ता

- प्रो एस.के. मिश्रा
- श्री अनिल गुप्ता
- श्री राजेंद्र सिंह "जल पुरुष"
- सुश्री रमा रौता
- श्री प्रहलाद गोयनका
- श्री के सी चंद्रमौली
- श्री जगत सिंह चौधरी 'जंगली'
- सुश्री मल्लिका भनोत
- श्री शिव प्रसाद ठाकुर
- श्री अनिल सौमित्र
- श्री कपिल रस्तोगी
- श्री राजा मंडल
- डॉ हर्षवंती बिष्ट

समूह ग: व्यापक एवं संधारणीय समाधान

''भावी पीढ़ी को सर्वोत्तम ग्रह सौंपना सुनिश्चित करने वाली कार्रवाई आधारित योजना और विधिक अवसंरचना''

''सही ऑकड़ों और सूचना के अभाव में किस आधार पर गंगा नदी बेसिन का नियोजन किया जा रहा हैं?'' – श्री जतिंदर के बजाज

''नगरीय मलजल का शून्य प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए जल शोधन लागत और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होगी। समाज को यह तय करना होगा कि क्या हम गंगा संरक्षण हेतु अधिक पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं?'' – डॉ भरत झुनझुनवाला

समूह ग की चर्चाओं से निम्नलिखित महत्वूपर्ण बिंदु उभरकर आएः

1. **वर्षा जल संचयन पर बल दिया जाना चाहिए। नदियों के साथ परिस्रवण टैंक मानसून के दौरान वर्षा जल का भंडारण करने और गर्मियों के दौरान नदी में जल की मात्रा बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं।**
2. **चर्म शोधन शालाओं और अन्य व्यापक रूप से प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए 100% उत्सर्जित बहिःस्राव के पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग को अनिवार्य किया जाना चाहिए।**
3. **यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी सामग्री के उत्पादन के दौरान कोई प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे विदेशी बाजार में भारतीय माल की विश्वसनीयता में सुधार होगा और कीमत भी अधिक मिलेगी।**
4. **सभी उद्योगों के लिए जल क्रेडिट प्रणाली की शुरूआत की जानी चाहिए तथा जल फुटप्रिन्ट्स की गणना करने के लिए एक कार्यतंत्र निश्चित रूप से विकसित किया जाना चाहिए।**
5. **चर्म शोधन शालाओं में प्रयुक्त क्रोमियम सल्फेट के लिए एक विकल्प को अभिज्ञात करने के लिए अनुसंधान किया जाना चाहिए।**
6. **मलजल शोधन संयंत्र को केवल उन्हीं स्थानों पर संस्थापित किया जाना चाहिए जहां वैकल्पिक उपाय नहीं किए जा सकते। नगर निगम के पास स्थानीय अपेक्षाओं के अनुसार मलजल शोधन संयंत्र स्थापित करने और उसका रख-रखाव करने का अधिकार होगा।**
7. **गंगा संरक्षण हेतु अंतर-मंत्रालयी और अंतर-विभागीय समन्वयन में सुधार करने के लिए एक अभिकरण का गठन आवश्यक है।**
8. **सही आंकड़ों और सूचना की कमी भी एक मुद्दा है तथा जिस पर समुचित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।**
9. **नदी की स्थिति के संबंध में हर 10 किमी पर एक रिपोर्ट कार्ड प्रकाशित किए जाने और एक कठोर विनियमन की आवश्यकता है। आम जनता द्वारा इस विनियमन को स्वीकार और अंगीकृत किए जाने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम अपेक्षित होगा।**
10. **कड़े मानकों को लागू करके जल की जीवाणु-विज्ञान संबंधी गुणवत्ता की निगरानी का निरंतर निरीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। बहु-स्थिरीकरण तालाबों और यूवी कारगर समाधान का रूप ले सकते हैं।**
11. **गंगा नदी बेसिन में सभी राज्यों द्वारा स्वच्छता अधिनियम को अंगीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि इससे स्वच्छता का संपूर्ण प्रबंधन सुनिश्चत होगा।**
12. **कोई भी निर्णय लेने से पहले विभिन्न मुद्दों के साथ जुड़े तकनीकी पहलुओं पर ध्यान से विश्लेषण किया जाना चाहिए और जलग्रहण पद्धति के उपायों के लिए योजना बनाई जानी चाहिए।**

प्रतिभागी
तकनीकविद तथा शिक्षाविद

अध्यक्ष
डॉ विनोद तारे, आईआईटी कानपुर

पैनल
- पद्म भूषण श्री एन विट्ठल
- श्री परितोष त्यागी, सीपीसीबी (सेवानिवृत्त)
- डॉ भरत शर्मा, आई डब्लयु एम आई
- श्रीराम वेदीरे
- श्री के जे नाथ, आर्सेनिक टास्क फोर्स, पश्चिम बंगाल

प्रमुख वक्ता
- प्रोफेसर यू.के. चौधरी
- प्रो प्रभाकर बार्डोनी
- श्री आर बहल
- प्रो ए.के. गोसाई
- डॉ भरत झुनझुनवाला
- प्रो संजुक्ता भादुड़ी
- डॉ राजेश बिनीवाले
- प्रो बी डी जोशी
- श्री एम.पी. सिंह
- श्री संदीप जोशी
- श्री आर.के. सिन्हा
- श्री के जी व्यास
- डॉ फ़ैयाज़ ए खुदसर
- श्री चन्द्र भान सिंह
- श्री जतिंदर के बजाज
- श्री वी जेटली
- डॉ संजीव त्यागी
- डॉ एस. एन. उपाध्याय
- डॉ अरविंद दीक्षित
- श्री शशांक चतुर्वेदी
- श्री आनंद कृष्णमूर्ति
- श्री विरज गुप्ता
- डॉ वाचस्पति त्रिपाठी
- डॉ म. दीन दयालम्
- डॉ एस एस गर्ग
- डॉ विक्रम सोनी
- डॉ ए. पी. शर्मा
- डॉ चतुर्वेदी
- श्री डी गंगप्पा

समूह घ: जन सहभागिता (गंगा के लिए जन सहभागिता और आंदोलन)

''सभी लोगों को उनकी नस्ल, लिंग, जाति, पंथ, आर्थिक स्थिति अथवा राष्ट्रीयता को पृथक रखकर गंगा के पुनरूद्धार के साझे ध्येय के लिए शामिल करना''

''हमें प्रशासन के तरीकों को बदलना होगा। समस्या है गलत सोच, बर्ताव और बात करने का तरीका।'' – *श्री अनिल माधव दवे*

''जल नहीं होगा तो कल नहीं होगा, और आज नहीं सोचा तो कभी हल नहीं होगा।'' – *श्री महेन्द्र नाथ चतुर्वेदी*

समूह घ की चर्चाओं से निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु उभर कर आए:

1. **न्यूनतम रिसाव, उन्नत वितरण और बेहतर सेवाओं के साथ जल उपयोग को न्यूनतम करने पर केंद्रित वितरण प्रणाली में मीटर लगाने और जल शुल्क जैसे नीतिगत उपायों के माध्यम से सुधार किया जाना चाहिए।**
2. **परंपरागत बड़े शोधन संयंत्रों से विकेन्द्रित छोटे मल निर्यास संयंत्रों, जो लगाने, प्रबंधन और प्रचालन में सरल हैं तथा जिन्हें बहुत कम भूमि की आवश्यकता होती है, की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है।**
3. **रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित बायो-डाइजेस्टर प्रौद्योगिकी जैसी नवप्रवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।**
4. **नदी के दोनों तरफ होने वाले विकास को नदी विनियमन ज़ोन के क्रियान्वयन के माध्यम से विनियमित किया जाना चाहिए।**
5. **मलजल शोधन संयंत्रों के लिए दिन-रात विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना अत्यावश्यक है तथा विकेन्द्रित सौर संयंत्रों जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर भी एक विकल्प के रूप में विचार किया जा सकता है।**
6. **स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है तथा गंगा नदी के पुनरूद्धार में कार्यरत प्रत्येक अभिकरण की जवाबदेही निर्धारित करना अपेक्षित है। इस कार्य में कार्यरत विभिन्न अभिकरणों के बीच समन्वयन में सुधार करने की आवश्यकता है।**
7. **विनिर्दिष्ट वर्षों के अंतराल पर पर्यावरणीय स्वीकृति का नवीकरण अवश्य किया जाना चाहिए।**
8. **नदी के इतिहास और गंगा नदी के महत्व को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।**
9. **शौचालय दृष्टिकोण की पुनःकल्पना किए जाने की आवश्यकता है जिसमें अभिकल्प का संशोधन और सेप्टिक टैंक का विनियमन शामिल है जिससे स्थल पर शौचालय आधारित शोधन हो सकता है।**
10. **नदी के संरक्षण की समस्त प्रक्रिया में शहरी स्थानीय निकायों को शामिल करने और अधिकार संपन्न बनाने के लिए 74वें और 73वें संवैधानिक संशोधनों को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है।**
11. **गंगा पुनरूद्धार की योजना में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थागत मॉडलों को शामिल किया जाना चाहिए (उदाहरण के लिए नदी संसद की स्थापना आदि)।**

प्रतिभागी

जन प्रतिनिधि, प्रशासक तथा गैर सरकारी संगठन

अध्यक्ष

श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, राम भाऊ म्हालगी प्रबोधिनी

पैनल

- श्री अनिल माधव दवे, राज्यसभा सांसद
- श्री सुधीर कृष्णा, सचिव, शहरी विकास मंत्रालय (सेवानिवृत्त)
- श्री राम गोपाल मोहाले, मेयर (वाराणसी)
- प्रो श्रीनिवास चारी, एएससीआई

प्रमुख वक्ता

- आचार्य हरिओम
- श्री एम ए चितले
- श्री विंध्यवासिनी कुमार
- श्री आरबीएस रावत
- श्री योगेश शर्मा
- श्री विमल कुमार
- श्री सुरेश अवस्थी
- श्री मनोज गर्ग
- श्री नरेश सिरोही
- श्री शैलेन्द्र पांडे
- श्री महेन्द्र सिंह
- श्री दीप शर्मा
- श्री पंकज विद्यार्थी
- श्री रमेश सिंह
- श्री सुबोधन मिश्रा
- श्री संजय त्यागी
- श्री ओंकारेश्वर शर्मा
- श्री विजय मेनन
- श्री संदीप जोशी
- डॉ भरत झुनझुनवाला
- श्री गोपाल अग्रवाल
- श्री महेन्द्र नाथ चतुर्वेदी
- डॉ आदित्य हिंसर

समापन सत्र

सामूहिक चर्चा के निष्कर्ष

समूह क: आध्यात्मिक गुरु

बाएँ से दाएँ: आचार्य बालकृष्ण द्वारा समूह क के निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये। समूह क में लगभग 80 प्रतिभागी थे। सुश्री उमा भारती जी ने संजीव बलयान (कृषि एवं खाद्य मंत्री) के साथ सम्मानजनक आध्यात्मिक गुरू के सुझाव सुने। इस सत्र में श्रीपद नाईक जी (पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री) ने भी भाग लिया।

गंगा नदी का जल अपने विशेष गुणों को विभिन्न प्राकृतिक औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की उपलब्धता वाले हिमालय के अनन्य प्राकृतिक पर्यावरण से अर्जित करता है। ऐसे औषधीय पौधों की 500 से अधिक किस्में हैं जो हिमालय के प्राकृतिक पर्यावरण के लिए महत्वूपर्ण हैं। ऐसे पौधों को नदी की बेहतरी को बनाए रखने और भू-स्खलनों को रोकने के लिए नदी के किनारों पर उगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 'खस' भारत में पाया जाने वाला एक ऐसा पौधा है, जिसे चीन द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में भू-स्खलनों को रोकने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विभिन्न जलीय अथवा स्थलीय प्रजातियों के प्राकृतिक वातावरण अथवा पर्यावासों के संरक्षण हेतु हस्तक्षेपों को भी गंगा नदी बेसिन प्रबंधन योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

गंगा का निर्माण इसकी सहायक नदियों के द्वारा होता है, जो इससे विभिन्न स्थानों पर जुड़ती हैं और ये सहायक नदियां गंगा की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इसलिए, गंगा की सहायक नदियों पर भी प्रदूषण उपशमन और नदी पुनरूद्धार हेतु विचार किया जाना चाहिए।

नदियों में मृत शरीरों को सीधे फेंकने पर रोक लगाई जानी चाहिए और विद्युत शवदाह गृहों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मृतक की वस्तुओं को एक भट्ठी में भस्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मृत शरीर से अधिक प्रदूषण उत्पन्न करती हैं।

नदी के 'अविरल' रहने पर नदी में प्रवाहित पुष्पांजलि से उत्सर्जित अपशिष्ट इतनी अधिक समस्या उत्पन्न नहीं करेगा।

पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और शोधित अपशिष्ट जल को भी गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, गंगा नदी बेसिन में कृषि हेतु बड़ी मात्रा में प्रयुक्त किए जा रहे रासायनिक कृमिनाशक और कीटनाशक, नदी के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। ऐसे रसायनों के खतरनाक प्रभावों से बचाने के लिए गंगा क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

बांधों के मामले में प्रतिभागियों की आम राय थी कि बांध नदी की दशा के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। इसलिए, मौजूदा बांधों से जल के सतत प्रवाह तथा प्रजातियों के संचलन/प्रवास में सहायता मिलनी चाहिए और किसी नए बांध का निर्माण तत्काल रोक दिया जाना चाहिए।

समूह खः गैर सरकारी संगठन और पर्यावरणविद

हिमालयी पर्यावरण की सुरक्षा करने की तत्काल आवश्यकता है। नदी के 'अविरल' बहाव को कायम रखने के लिए हिमालयी हिम नदियों को सुरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। हिमालयी पर्यावरण को सुरक्षित करने के क्रम में ओक (बांझ), रोडोडेन्ड्रन (बुरांस), माइरिका एसकुलांटा (काफल), एकेसिया (पांगर) जैसी देशी पादप प्रजातियों को खुले भू-स्थलों में रोपित किए जाने की आवश्यकता है।

गंगा नदी की लंबाई मात्र 2500 किमी ही नहीं, बल्कि इसकी सहायक नदियों सहित 25000 किमी से अधिक का जटिल तंत्र है, जिन सभी को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। नदी से बाढ़ वाले मैदानों को अनुरक्षित किया जाना चाहिए और इन बाढ़ मैदानों में मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होने चाहिए।

विश्व भर में 900 से अधिक नदियों के संबंध में व्यापक अनुसंधान किए गए हैं, जिससे निष्कर्ष निकला है कि इन नदियों का जल स्तर, विगत 50 वर्षों में 20% तक कम हो गया है। तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि और बढ़ते हुए जल उपभोग के कारण यह अनुमान है कि यदि जल स्तर इसी दर से घटता रहा तो 50 वर्ष बाद ये जल निकाय संकट में आ जाएंगे।

नदी मात्र जल निकाय न होकर तलछट, जल, वनस्पति-जात और प्राणि-जात का एक जटिल तंत्र होती है। इसलिए, यह अनिवार्य है कि संरक्षित करने के क्रम में नदी के सभी अव्यवों सहित समस्त नदी-गतिकी का अध्ययन किया जाए। हालांकि विभिन्न संस्थानों में गंगा नदी के संबंध में अनेक अनुसंधान किए गए हैं, लेकिन ये सूचना बिखरी हुई हैं। इसलिए, गंगा नदी के संबंध में एक पूर्ण समग्र अनुसंधान अध्ययन और अधिक नीतिगत हस्तक्षेप पूर्वापेक्षित हैं। साथ ही, गंगा नदी के संबंध में एक संपूर्ण प्रलेखन भी आवश्यक है।

नदी में विद्यमान जलीय जीवन, नदी की दशा के लिए महत्वपूर्ण होता है; लेकिन अनेक जलीय प्रजातियों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इस प्रकार यह भी आवश्यक है कि गंगा नदी के अभिन्न अंग डॉल्फिनों, घड़ियालों, कछुओं और मछली की 384 से अधिक किस्म की प्रजातियों जैसे जलीय कशेरूकी सहित गंगा में इन जलीय जीवों को संरक्षित किया जाए।

गंगा नदी की सुरक्षा के लिए एक कार्य बल का गठन किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें वनीकरण, नदी तटाग्र विकास, जागरूकता सृजन, और प्रतिबंधित गतिविधियों की निगरानी करने जैसे विभिन्न कार्यकलापों में शामिल किया जा सकता है।

गंगा नदी के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए सभी कार्य समयबद्ध, परिणाम अभिमुख और क्रमबद्ध रीति से क्रियान्वित किए जाने चाहिए। पूर्व में, हालांकि नीतियां प्रतिपादित की गई थीं, लेकिन प्रभावी संस्थानों और अंतर-विभागीय समन्वयन की कमी के कारण परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और सामयिक समापन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा सका और इस संबंध में प्रयास नहीं किए जा सके।

ऊपरः सत्र की अध्यक्षता न्यायाधीश गिरधर मालवीय जी ने की।

ऊपरः श्री आशीष गौतम जी ने समूह ख के निष्कर्ष प्रस्तुत किये।

पूरे देश भर से विभिन्न संस्थाओं के 200 से अधिक प्रतिभागियों ने इस सत्र में हिस्सा लिया। श्री राजेन्द्र सिंह ''जल पुरुष'', श्री भरत झुनझुनवाला जैसे प्रख्यात पर्यावरणविद् आदि लोगों ने इस सत्र में भाग लिया।

समूह गः शिक्षाविद और तकनीकविद

गंगा नदी बेसिन विश्व के विशालतम और घनी जनसंख्या वाले नदी बेसिनों में से एक है, जिसमें अत्यधिक विविध भौगोलिक परिदृश्य हैं और इसका जल-विज्ञान जटिल है। गंगा नदी की 'अविरल' और 'निर्मल' प्रकृति को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय भू-जल स्तर में वृद्धि करने और नदी में आधार प्रवाह के लिए स्थानीय जलसंभर प्रबंधन अपेक्षित है। यह नदी से प्रत्यक्ष निष्कर्षण और नदी से जल के अपवर्तन पर निर्भरता को भी कम करेगा।

'निर्मल धारा' (स्वच्छ प्रवाह) के लिए सभी अपशिष्टों (ठोस और द्रव, दोनों) का संपूर्ण प्रबंधन, सभी क्षेत्रों में पुनरुपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा और किसी भी अपशिष्ट को नदी में गिरने से रोका जाना अनिवार्य है। ऐसे सभी कार्यों के लिए निवेश की बड़ी राशि अपेक्षित होगी। तथापि, नवप्रर्वतनकारी धारणीय प्रौद्योगिकियों और अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन की लागत का स्वच्छ पर्यावरण से व्युत्पन्न स्वास्थ्य लाभों के सापेक्ष आकलन किया जाना चाहिए। ऐसे हस्तक्षेप से आरओ जैसे वैयक्तिक घरेलू स्तर के जल शोधकों के प्रयोग भी कम होंगे, जो वास्तव में पेयजल की खराब गुणवत्ता के कारण उत्पन्न अनावश्यक अतिरिक्त जरूरत बन गए हैं।

इन दिनों पुनर्चक्रण और पुनरुपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप संभव हैं। तथापि, ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन और पोषण के लिए उपयुक्त वित्तीय और आर्थिक मॉडल समय की मांग है।

प्रौद्योगिकी के स्थान अथवा स्थल विशिष्ट उपयोग के साथ अपशिष्ट प्रबंधन और शोधन के लिए एक विकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

औद्योगिक उत्पादन में ताजा जल अथवा भू-जल के उपयोग को शोधित अपशिष्ट जल के उपयोग से रोका या कम किया जा सकता है। इसके अलावा, सरकारी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के हरिततर तरीकों को चुनने पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे उत्पादों की ग्रीन लेबलिंग संभव होगी और ये अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्वीकार्य भी होंगे। ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सफलता के लिए संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रयासों का एकीकरण अत्यंत अनिवार्य है। इस प्रयोजन के लिए एक उपयुक्त संस्थागत ढांचे के विकास पर विचार किया जाना चाहिए।

परियोजनाओं की आधारभूत वास्तविकताओं का उन्नत वैज्ञानिक आकलन तथा प्रभावी आयोजना और क्रियान्वयन करने के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी से उपयुक्त आंकड़ो के एकत्रण और प्रसार हेतु कार्यनीतियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

विभिन्न सरकारी निकायों के बीच समन्वयन को बढ़ावा देने और हित-भेद रोकने के लिए एकल प्राधिकरण अथवा संस्थान के साथ-साथ एक विधिक अवसंरचना अथवा एक अधिनियम की अत्यंत आवश्यकता है।

बाएँ से दाएँः प्रो. विनोद तारे जी ने समूह ग के निष्कर्ष प्रस्तुत किये। पद्म भूषण श्री एन. विट्ठल भी इस समूह के सदस्यों के बीच में थें। प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों से इस सत्र में 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

122

समूह घः जन प्रतिनिधि और प्रशासक

विकास प्राधिकरणों की संस्कृति को गंगा नदी के संरक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप किए जाने की आवश्यकता है। गंगा नदी से लगे शहर नगर पालिकाओं और नगर निगमों की सीमाओं से बाहर विस्तारित हो रहे हैं तथा इन विकास प्राधिकरणों को गंगा नदी में गिरने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने का कार्य सौंपा जा सकता है। गंगा की मुख्य धारा वाले राज्यों में स्थानीय अथवा क्षेत्रीय निकायों की सामान्य निर्णयन प्रक्रिया में अनदेखी की जा रही है, जिससे यह अनिवार्य हो गया है कि इन प्राधिकरणों को भी निर्णयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाए।

गंगा बेसिन में अवस्थित प्रत्येक शहर में अपशिष्ट प्रबंधन के विकेन्द्रित कार्यतंत्र की आवश्यकता है। जल के प्रति व्यक्ति उपयोग को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है और प्रत्येक शहर में पेयजल आपूर्ति प्रणाली में रिसाव नियंत्रण अनिवार्य है। वर्तमान प्रणाली के साथ समस्या यह है कि नीति-निर्माता इसे व्यवहार में नहीं लाते और जो वास्तव में इस पर अमल कर रहे हैं, उन्हें नीति निर्माण में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए इस अंतराल को नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए समाप्त किए जाने की आवश्यकता है। इस वृहत कार्य को करने के लिए जनता, सरकार और संस्थानों के व्यवहार में परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

गंगा नदी के संरक्षण के लिए अनेक अभिकरण कार्य कर रहे हैं। इन अभिकरणों के बीच समन्वयन और एकीकरण की कमी है। इस प्रकार, परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न अभिकरणों के बीच उचित समन्वयन अपेक्षित है। गंगा नदी के संरक्षण के लिए संबद्ध सरकारी अभिकरणों की जवाबदेही में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

गंगा नदी के साथ लगे ग्रामीण वास-स्थलों में गंगा नदी में शवों को फेंकने से रोकने के लिए मुफ्त दाह-संस्कार सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

सभी स्कूली पाठ्यक्रमों में गंगा नदी संबंधी एक पाठ शामिल किये जाने की आवश्यकता है। गंगा से बाढ़ वाले मैदानों में निरंतर अतिक्रमणों को रोके जाने की आवश्यकता है।

बिजली की बाधित आपूर्ति के कारण अनेक स्थानों पर अपशिष्ट शोधन संयंत्र पूरी तरह प्रचालन में नहीं हैं। सरकार द्वारा वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है।

यह लक्षित हुआ कि गंगा नदी के संरक्षण के लिए पांच क्षेत्रों अर्थात सरकार, शिक्षाविद, उद्योग, समुदाय और व्यक्तियों को समन्वित ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है ।

फ्रांस में नदियों के संरक्षण के लिए एक पृथक नदी संसद मौजूद है। गंगा नदी की पुर्नस्थापना के लिए अनेक देशों के सदृश उदाहरणों और सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों पर भी विचार किए जाने और समुचित रीति से प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है।

उपरः श्री विनय सहस्रबुद्धे जी ने समूह घ के निष्कर्ष प्रस्तुत किये। इस सत्र में लगभग 60 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। श्री अनिल माधव दवे, जो समूह घ के पैनल में थे, वो राज्यसभा के एक सांसद है और नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए उनका योगदान प्रसिद्ध है।

सुश्री उमा भारती द्वारा समापन भाषण

"शास्त्रों में उल्लेख आ रहा है कि गंगा 5000 वर्ष पूरे करके धरती को छोड़ देंगी, परन्तु राजा काल का नियंत्रक होता है और प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है।" – सुश्री उमा भारती

गंगा नदी को 'निर्मल' और 'अविरल' बनाने के प्रति सभी प्रतिभागियों का सर्वसम्मत मतैक्य रहा। गंगा संरक्षण के लिए एक व्यापक कार्य नीति तैयार करने के लिए उच्चतर प्राधिकारियों के बीच परामर्श के दौरान भागीदारों द्वारा दिए गए बहुत से सुझावों पर अपेक्षित रूप से विचार किया जाएगा। हालांकि गंगा कार्य योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण जैसे पूर्व के प्रयास सुयोग्य उद्देश्यों के साथ तैयार किए गए थे, फिर भी विश्लेषण से प्रकट हुआ है कि विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बीच एकीकरण और समन्वयन की कमी, इन प्रयासों के वांछित परिणाम न होने के कारणों में से एक है। सरकार सुनिश्चित कर रही है कि गंगा पुनरूद्धार के कार्य में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के बीच समन्वयन, विचारों की एकरूपता और उत्तरदायित्व की भागीदरी की कमी न हो। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि परियोजनाएं समयबद्ध रीति से प्रारंभ की जाएंगी। गंगा पुनरूद्धार के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग से एकरूपता, पूर्ण जागरूकता और सूंपर्ण भागीदारी के साथ सामाजिक आंदोलन 'जन आंदोलन' की आवश्यकता है। गंगा संरक्षण के लिए पारदर्शिता और जन आंदोलन का संवर्धन करने के क्रम में गंगा के संबंध में एक वेबसाइट शीघ्र ही आरंभ की जाएगी तथा जनता इस वेबसाइट में अपने सुझाव और प्रतिपुष्टि दे सकेगी। गंगा सेवा किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता से परे है और इसमें सभी धर्मों के लोग सम्मिलित हैं। अनेक स्रोतों से गंगा के संबंध में विधान बनाने की निरंतर मांग रही है, लेकिन भारत के लोगों का सरोकार विधायी उपबंधों से अधिक सामाजिक व्यवस्थाओं से है। विधान अनिवार्य होता है, लेकिन इसका प्रभावी प्रवर्तन केवल एक उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से ही हो सकता है, जो गंगा नदी की संरक्षा और संरक्षण के लिए आवश्यक है। इस सामाजिक व्यवस्था में आध्यात्मिक गुरू, 'जन चेतना' उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और समाज का प्रत्येक व्यक्ति गंगा के 'अविरल' और 'निर्मल' प्रवाह को अनुरक्षित करने में सम्मिलित हो सकेगा। प्रधानमंत्री जी की भी यह अभिलाषा है कि गंगा 'अवरिल' और 'निर्मल' बने और यही कारण है कि जल संसाधन, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, पर्यावरण एवं वन जैसे विभिन्न मंत्रालयों के पदाधिकारी गंगा सेवा करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध हैं। गंगा नदी के पुनरूद्धार के लिए जन जागरूकता सृजित करने में मीडिया के प्रयास भी प्रशंसनीय हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए यही उपयुक्त समय है, क्योंकि यह अवसर बार-बार नहीं आएगा और नदी की हालत बिगड़ती जाएगी, जिसे बदलना कठिनतर होता चला जाएगा। इसलिए इस कार्य के लिए अधिकतम प्रयास किए जाने होंगे, क्योंकि भारत सरकार गंगा नदी को संरक्षित करने के लिए समर्पित और पूर्णतः कटिबद्ध है।

श्री नितिन गडकरी द्वारा समापन भाषण

गंगा पुनरूद्धार 'जन आंदोलन' तथा सरकार की कार्यनीतिक आयोजना और प्रयासों से फलीभूत होगा। इन दोनों ही घटकों को परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन तथा बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सरल और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता है। आज के कार्यक्रम से यह प्रमाणित हुआ है कि लोग गंगा नदी के संरक्षण के लिए प्रवृत्त और वचनबद्ध हैं। इसलिए उपयोगी विचारों, सुझावों और क्रियान्वयन योग्य समाधानों से यह कार्यक्रम एक बड़ी सफलता बन जाएगा।

गंगा नदी के तट पर बसे शहरों और गांवों की विभिन्न श्रेणियां है। कुछ बड़े और मध्यम शहर हैं, जहां शहरी विकास मंत्रालय, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आदि जैसी विभिन्न स्कीमों के माध्यम से अनेक परियोजनाएं चला रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी गंगा नदी के तटों पर अवस्थित सभी ग्रामीण वास-स्थलों में बायो-शौचालय, शून्य बहिःस्राव शौचालय आदि जैसी विभिन्न नवप्रवर्तनकारी परियोजनाओं को क्रियान्वित करके गंगा नदी में प्रदूषण के बहाव को रोकने पर बल देगा। प्रदूषण के सफल और प्रभावी उपशमन के लिए ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थल विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जाएंगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित इस शिक्षा के अतिरिक्त मूल्य आधारित शिक्षा की भी आवश्यकता है। ऐसा होने पर खुशहाल, समृद्ध और शक्तिशाली भारत उभरेगा। भारत सरकार गंगा नदी के संरक्षण को उच्चतम प्राथमिकता देगी और सुनिश्चित करेगी कि ऐसे प्रयासों के लिए निधियों का अभाव न हो। आज का दिन गंगा के संरक्षण के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा तथा सभी मूल्यवान सुझाव, गंगा पुनरूद्धार के महान कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार का निश्चित तौर पर मार्गदर्शन करेंगे।

श्री पुष्कल उपाध्याय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन

अपर मिशन निदेशक एवं निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

श्री पुष्कल उपाध्याय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से सभी मंत्रियों और गंगा मंथन के सहभागियों का धन्यवाद किया। उन्होंने सभी मंत्रियों का 'गंगा मंथन' की परिकल्पना करने, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को इस कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु प्रोत्साहित करने और इस कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर विभिन्न सहभागियों के मतों और विचारों पर ध्यान देने के लिए भी विशेष रूप से धन्यवाद किया। इस कार्यक्रम में सबकी उपस्थिति ने गंगा नदी के पुनरूद्धार के लिए उनकी वचनबद्धता परिलक्षित की है। उन्होंने आध्यात्मिक गुरूओं का अपनी चिंताएं व्यक्त करने और गंगा नदी को पूर्वावस्था में लाने के चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए सम्भव समाधान सुझाने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाने वाले राज्य और केन्द्र सरकार के पदाधिकारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। उन्होंने सभी शिक्षाविदों, तकनीकविदों, गैर सरकारी संगठनों और पर्यावरणविदों, जन प्रतिनिधियों तथा अन्य प्रतिभागियों का धन्यवाद किया, जिनकी सक्रिय सहभागिता ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रत्येक सत्र के अध्यक्ष, पैनल सदस्यों और व्यवस्थापकों को भी विशेष कृतज्ञता ज्ञापित की गई, जिन्होंने सत्र संचालित किए और समापन सत्र में प्रत्येक सत्र के परिणामों को प्रस्तुत किया। उन्होंने इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए मीडिया और बड़ी संख्या में प्रतिभागिता के लिए सभी प्रतिभागियों की भी प्रशंसा की।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय

तीसरी मंजिल, रियर विंग, एमडीएसएस भवन

9 सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी मार्ग, नई दिल्ली – 110003 भारत

studio-A